संख्या-43/2021/2530/58-1-2021-2/3(2)/18

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 06 अक्टूबर, 2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0129-आधार नामांकन किट की व्यवस्था के मानक मद 42-अन्य व्यय" में वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-306/बा0वि0परि0/लेखा/2021-22, दिनांक 26 जुलाई, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0129-आधार नामांकन किट की व्यवस्था के मानक मद 42-अन्य व्यय" में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़ मात्र) धनराशि की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) क्रय की गयी किट बाल विकास परियोजना कार्यालय पर स्थापित की जायेंगी, जो आधार नामांकन एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। बाल विकास परियोजना कार्यालय में स्थापित होने एवं कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त 70 प्रतिशत, तत्पश्चात् शेष 30 प्रतिशत भुगतान 03 माह में किया जायेगा।

(2) एक आधार नामांकन किट में डेस्कटाप/लैपटाप कम्प्यूटर/टैबलेट(बच्चों के लिए), स्कैनर, प्रिंटर, स्लैप फिंगरस्ट्रिप स्कैनर, आइरिस स्कैनर एवं जी0पी0एस0 डिवाइस रहेगी।

(3) प्रत्येक क्लाइंट के लिए एक डेस्कटाप आधारित क्लाइंट, एक लैपटाप आधारित क्लाइंट, एक टैबलेट आधारित क्लाइंट (बच्चों के लिए) के साथ-साथ स्कैनर, प्रिंटर, स्लैप फिंगरस्ट्रिप स्कैनर, आइरिस स्कैनर एवं जी0पी0एस0 डिवाइस का क्रय किया जायेगा।

(4) जी0एफ0आर0-2017 के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा तथा UIDAI द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन का कड़ाई से अनुपालन करते हुए आधार नामांकन किट की सभी सामग्री का क्रय GeM पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

(5) आधार नामांकन किट का क्रय एवं स्थापना प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कर लिया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2022 तक अवश्य प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) आधार नामांकन किट का उपयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सभी डी0बी0टी0 योजनाओं के सभी लाभार्थियों के आधार नामांकन के लिये किया जायेगा।

(7) यह अनुदान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सभी डी0बी0टी0 योजनाओं के लिए आधार नामांकन क्रय के अनावर्तक व्यय के लिए है।

(8) अनुदान सहायता इस शर्त के अधीन है कि जब योजना बंद अथवा समाप्त कर दी जायेगी, तब सम्पत्तियों के निपटारे से प्राप्त रसीद या स्वीकृति के एक हिस्से को पूंजीगत लागत में सम्बन्धित शेयरों के साथ सरकार के बीच अनुपात में साझा किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(12) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(13) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0129-आधार नामांकन किट की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.) के मानक मद 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा ।

3. ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-1426-दस-2021-22, दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-43/2021/2530/58-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in